STA (Geophysics)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :— 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2. Joint Secretary /Deputy Secretary, Ministry of Water Resources – Member; 3. Member, Central Ground Water Board – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No.21/17/2016-CGWB]

S. K. KATARIA, Under Secy.

Note: The principal rules were notified and published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 17th January, 1998 vide number G.S.R. 15, dated the 31st December, 1997 and subsequently amended vide number G.S.R. 402, dated the 27th September, 2000.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

सा.का.नि.301.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय,केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी), समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी), समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम 2010 में,—

(i) नियम 1. के उपनियम (1) में 'जल संसाधन मंत्रालय' शब्दों के स्थान पर , "जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 2, के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबन्धित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।" ;

(iii) नियम 3 में , "स्तंभ (5) से स्तम्भ (14)" शब्दों , कोष्ठको और अंकों के स्थान पर "स्तंभ (5) से स्तंभ (13)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iv) अनूसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी)	14* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ख'), अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर -7 (44,900-142400 रु.)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	30 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	**आवश्यक:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूभौतिकी या अनुप्रयुक्त भूभौतिकी में मास्टर डिग्री । **वांछनीय:** भूमिगत जल खोज से संबन्धित भूभौतिकी के अन्वेषन का दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के

		स्तर 6 (35400-112400 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिसके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ और विहित अनुभव है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए),जिसमे निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। "

[फा. सं. ए.31012/13/2017-जीडब्ल्यूई]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II खंड 3 उपखंड (i) मे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217, तारीख 9 नवंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 31st August, 2018

G.S.R.301.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Geophysics), Group 'B' post Recruitment Rules, 2010, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Geophysics), Group 'B' post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. In the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Geophysics), Group 'B' post Recruitment Rules, 2010,-

(i) in sub-rule (1) of rule 1, for the words "Ministry of Water Resources", the words "Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" shall be substituted;

(ii) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(iii) in rule 3, for the words, brackets and figures "columns (5) to (14)", the words, brackets and figures "columns (5) to (13)" shall be substituted;

(iv) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Technical Assistant (Geophysics).	14*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'B), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44,900-142400/-)	Not applicable

Age- limit for direct recruits.
(6)
Upto 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential: Master's degree in Geophysics or applied Geophysics from a recognized University. **Desirable:** Two years experience of Geophysics investigations related to ground water exploration. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.
(10)	(11)
By direct Recruitment. **Note:** Vacancies caused by the imcumbent being away on deputation or long illess or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:	Not applicable

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix in the parent cadre or department ; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column(7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member 3. Scientist 'D', Central Ground Water Board – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.".

[F. No. A. 31012/13/2017-GWE]

S. K. KATARIA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 217, dated the 9th November, 2010.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.302.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रशासक, केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण) भर्ती नियम 2000 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रशासक, केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रशासक, केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण) भर्ती नियम, 2000 में –

   (i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

   (ii) नियम 3 में, शब्दों , कोष्ठक और अंकों के स्थान पर,

   "स्तंभ (5) से स्तम्भ (14)" शब्द , कोष्ठक और अंक "स्तंभ (5) से (13)" रखे जाएंगे ।

   (iii) अनूसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएंगी, अर्थात्:—